न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/51/2008

उनवान

1. प्रेम सिंह यादव आत्मज मदन सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह आत्मज माधवलाल दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. महेन्द्र सिंह आत्मज माधवलाल दरोगा, निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. दलजीत सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. अर्जुन सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. मु0 रीना पुत्री राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. मु0 निर्मला देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के

प्रकरण संख्या 34/2007 निर्णय दिनांक 11.2.2008

अधिवक्तागण :–

1.श्री के जी शर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थी

2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 16.1.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाडा आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षी व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया हुआ है जिसके प्रकरण संख्या 35 सन् 05 रा0वाद होकर उसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.07 नियत है। प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगणों का सजरा निम्न प्रकार है :–

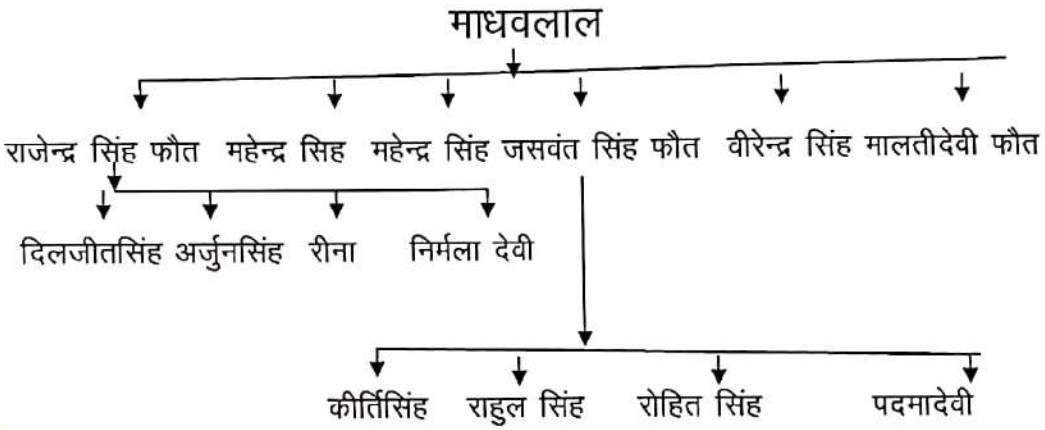

सजरे के अनुसार माधवलाल के चार पुत्र तथा एक बेवा थी जिसमें से माधवलाल की पत्नी मालती देवी भी फौत हो गई तथा राजेन्द्र सिंह जसवंत सिंह भी फौत हो गये । जिनके वारिसान सजरे में दर्शाये गये है तथा माधवलाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता पत्र तहरीर व तकमील कराया जिस पर माधव लाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने हस्ताक्षर किये व उक्त समझौता पत्र की नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया गया । उक्त समझौता पत्र में चारों पुत्रों व मालती देवी के आने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा सूचीवार दिया गया है। जिसमें सूची "क" राजेन्द्र सिंह के रहने का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

इकरार किया गया था व सूची ''ख'' में वर्णित सम्पत्ति महेन्द्र सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार, सूची ''ग'' में वर्णित सम्पत्ति जसवंत सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार व सूची '' घ'' में वर्णित सम्पत्ति वीरेन्द्र सिंह प्रार्थी के हक व अधिकार में रहने का इकरार किया तथा सूची ''च'' मालती देवी के हक अधिकार में रहने का इकरार पारिवारिक समझझैता पत्र माधव लाल के सभी वारिसानों ने तहरीर व तकमील कराया ।

3. ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की निम्न वर्णित कृषि आराजियात स्थित है जिसमें प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण का अलग–अलग हक व हिस्सा निहित है:–

आ.नं. हाल	रकबा	आ.नं.साबिक	रकबा
3707	0.46	1508	1 बीघा 16 बिस्वा
5044	0.02	2479	1 बिस्वा
5045	1.11	2480	4 बीघा 8 बिस्वा
5048	0.31	2483	8 बिस्वा
5049	0.09	2484	9 बिस्वा
5785	0.70	2483 मी	
5800	0.70	3015/1ख	2 बीघा 15 बिस्वा
5801	0.06	3024/3मी	10 बिस्वा
————	————	3024/3मी	

किता 8रकबा 2.82

4. ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त व स्वामित्व की निम्न वर्णित कृषि आराजियात स्थित है:–

आ.नं.	रकबा (हैक्टे0 में)
5035	0.51

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5042	0.40
किता 2	0.91 है0

उक्त पेरा में वर्णित कृषि आराजियात के भू प्रबन्ध के पूर्व के नम्बर 2472, 2473, 2477/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पारिवारिक समझौता पत्र के अनुसार इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात मालती देवी के हिस्से में आई थी । लेकिन इकरारनामे के अनुसार मालती देवी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजियात प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के संयुक्त रूप से आधे–आधे हिस्से अनुसार राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होना था लेकिन उक्त आराजियात माधवलाल ने अपने जीवकाल में बनाई थी तथा समझौता पत्र के अनुसार माताजी के स्वर्गवास के पश्चात विपक्षी के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज करानी थी लेकिन विपक्षी ने उक्त आराजियात की रजिस्ट्री प्रार्थी व जसवंत सिंह के वारिसान के नाम दर्ज नहीं कराई इसलिए इस पेरा में वर्णित आराजियात जो कि समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम संयुक्त रूप से आधे–आधे हिस्से अनुसार दर्ज कराने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

5. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित भू प्रबन्ध से पूर्व की कृषि आराजी संख्या 2479, 2480, 2483, 2484रकबा कमशः 2 बिस्वा, 4 बीघा 8 बिस्वा, , 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके भू प्रबन्ध के पश्चात आराजी नम्बर 5044, 5045, 5048, 5049 बने हैं जिनका रकबा कमशः 0.02, 1.11 , 0. 31, 0.09 है0 इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात जो कि पारिवारिक समझौता पत्र की सूची ''ग'' व ''घ'' के अनुसार प्रार्थी वीरेन्द्र सिंह के हक व हिस्से में आधी तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के हक व हिस्से में आधी रही व इसी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अनुसार इस पेरा में वर्णित आराजियात राजस्व दस्तावेजों में प्रार्थी व जसवंत सिह के वारिसान के नाम संयुक्त रूप से आधी–आधी हिस्से में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने समझौता पत्र में वर्णित तथ्यों को नजर अंदाज कर इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात में भी अन्य विपक्षीगणों सभी का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कर दिया । जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है जबकि समझौता पत्र के नुसार इस पेरा में वर्णित आराजियात आधी प्रार्थी के नाम व आधी जसवंत सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होनी चाहिये थी तथा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित हाल कृषि आराजियात 3707, 5785, 5801 में संयुक्त रूप से विपक्षी संख्या 1 से पांच का नाम दर्ज होना चाहिये था अर्थात प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजियात में से इस पेरा में वर्णित कृषि आराजी मे प्रार्थी व जसवंत सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का संयुक्त रूप से आधा–आधा हिस्सा दर्ज कराने हेतु तथा शेष बची कृषि आराजी में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । वादग्रस्त आराजियात में वर्तमान में समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व विपक्षीगण अपने–अपने हक हिस्से पर काबिजकाश्त है लेकिन राजस्व दस्तावेजों में समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व विपक्षी अपना अपना नाम दर्ज कराया जावे।

6. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजी जिस में कि प्रार्थी का 1/2 हक व हिस्सा है प्रार्थी अपने हक व हिस्से की आधी आराजी में फसल काश्त कर रखी है लेकिन विपक्षी आये दिन मौके पर आकर विवाद उत्पन्न करते हैं इसी कम में दिनांक 19.2.2007 को प्रार्थी अपने खेतों पर काश्त की हुई फसल की देखभाल करने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गया तो विपक्षी ने मौके पर विवाद उत्पन्न किया। प्रकरण में प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित की व उनको उनकी कृषि आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि आराजी मे वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 कारित न तो स्वयं करें एवं न अपने नौकरों, एजेण्ट से कारित करावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी संख्या 5035 व 5042 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खातेदारी हक अधिकार की होकर अपीलाण्ट ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 9.1.2006 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है । इस प्रकार अपीलाण्ट उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 6व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये राजस्व वाद बाबत घोषित किय जाने खातेदार, काश्तकार, बंटवाडा आराजियात एवं एक पारिवारिक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

समझौता पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त खरीदसुदा कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने व इसे अन्य को विक्रय हस्तान्तरित रहन, व बेह आदि नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया ।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जवाब में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने निवेदन किया कि कथित पारिवारिक समझौता उसकी जानकारी में नही है , न उसमें परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा निर्धारण किया गया है तथ न परिवार के सभी सदस्यों के उस पर सहमति के हस्ताक्षर हुए । यही नहीं भूमि विक्रय, हस्तान्तरित रहन, बेह, आदि नहीं करने की मांग बाबत वाद पत्र में कोई अभिकथन व अनुतोष नहीं मांगा गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपने जवाब में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि उसकी खरीदसुदा स्वअर्जित भूमि होकर पारिवारिक समझौते की विषयवस्तु नहीं हो सकती तथाउसने अपनी खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त भूमि को मुझ अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये बिकाव कर मेरे सिपुर्द कर देने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खरिज करने का भी निवेदन किया ।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के जवाब में अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि क्रय कर प्राप्त कर लेने के स्पष्ट अभिवचनों के बावजूद मामले में अपीलाण्ट प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण के बारे में अपीलाण्ट प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि अपीलाण्ट आवश्यक पक्षकारहोकर इसके अभाव में मामले का सम्यक निस्तारण सम्भव नहीं था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के प्रार्थना

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी-एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित अनुसार उसके पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी उसके पक्ष में नहीं होते हुए भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इससे अपीलाण्ट के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 एवं 5042 जिनके साबिक आराजी नम्बर 2472, 2473, 2477 होकर उक्त कृषि आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की खरीदसुदा आराजियात थी। जिनके बारे में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अभिकथनानुसार कथित पारिवारिक समझौता पत्र के मुताबिक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा पालना नही किये जाने पर उसकी विनिर्दिष्ट अनुपालना कराये बिना रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया वाद पत्र पोषणीय ही नहीं था एवं न ही ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उसके पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का मनमाना विवेचन करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में वैधानिक भूल की है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अकेले के खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त आराजियात को श्रीमती मालती देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये ही अन्तरित की जा सकती है तथा इस बारे में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से न तो कोई रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया गया एवं न ही उक्त भूमि श्रीमती मालती देवी के पक्ष में अन्तरित की गई। इस प्रकार स्टाम्प एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपती प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए एवं कथित समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी से बचने के आशय से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद पत्र कानूनन पोषणीय ही नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में उक्त विधिक पहलूओं को पूर्णतया नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपना वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्ष 1989 के कथित पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया, जबकि कथित पारिवारिक समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना विधि के अन्तर्गत अधिकतम 3 वर्ष की समयसीमा में ही कराई जा सकती थी तथा उक्त समय सीमा में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अथवा अन्य किसी भी पक्ष द्वारा कथित पारिवारिक समझौता की अनुपालना बाबत कोई कार्यवाही नहीं कराई गई, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा 18 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया मामला प्रथमतः पोषणीय नहीं होते हुए भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्व0 माधव लाल जी की पारिवारिक पुश्तैनी कृषि आराजियात के बंटवाडे में उनकी पुत्री यानि रेस्पोडेण्ट संख्या 1, व 2 की बहिन मु0 कमल आवश्यक पक्षकार होकर इसके अभाव में प्रकरण पोषणीय नहीं था। इस बारे में स्पष्ट आपत्ति होने के ाबवजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी तौर पर अंकित कर दिया कि स्वयं पक्षकार बनने हेतु स्वतंत्र है एवं मामले में पक्षकार बन सकती है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने वाले अपीलाण्ट के बारे में भी इसी तरह की फाईण्डिंग

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

लिखते हुए कि वह स्वयं भी पक्षकार बनने हेतु स्वतंत्र है। अपीलाण्ट के हक अधिकारों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

16. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 व 5042 किता 2 रकबा 0.91 है0 के साथ अन्य आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया ।

17. वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 व 5042 किता 2 रकबा 0.91 है0 महेन्द्र सिंह आत्मज माधव लाल दरोगा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी। जो कि उसके द्वारा स्वअर्जित आराजियात थी।

18. प्रत्यर्थी संख्या 1 का कथन है कि माधवलाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता पत्र तहरीर व तकमील कराया जिस पर माधव लाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने हस्ताक्षर किये व उक्त समझौता पत्र की नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया गया । उक्त समझौता पत्र में चारों पुत्रों व मालती देवी के आने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा सूचीवार दिया गया है। जिसमें सूची ''क'' राजेन्द्र सिंह के रहने का इकरार किया गया था व सूची ''ख'' में वर्णित सम्पत्ति महेन्द्र सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार, सूची ''ग'' में वर्णित सम्पत्ति जसवंत सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार व सूची '' घ'' में वर्णित सम्पत्ति वीरेन्द्र सिंह प्रार्थी के हक व अधिकार में रहने का इकरार किया

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तथा सूची ''च'' मालती देवी के हक अधिकार में रहने का इकरार पारिवारिक समझौता पत्र माधव लाल के सभी वारिसानों ने तहरीर व तकमील कराया । इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

19. दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 1/महेन्द्र सिंह पिता माधव लाल दरोगा ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 , 5042 किता 2 रकबा 0.91 है0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था। जिसे उनके द्वारा प्रेम सिंह यादि पिता मदन सिंह यादव को दिनांक 9.1.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किये थे। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी होने पर क्रेता/प्रेम सिंह यादव को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये था। जिससे उसके हक अधिकारों के बारे में निर्णय किये जाने से पूर्व उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किय जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह यादव /वादग्रस्त आराजी के क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

20. अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारक समझौता पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि किसी भी पक्ष द्वारा कथित पारिवारिक समझौता की अनुपालना बाबत कोई कार्यवाही नहीं कराई गई ।

21. वादग्रस्त स्वअर्जित खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त आराजियात को श्रीमती मालती देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये ही अन्तरित की जा सकती है तथा इस बारे में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से न तो कोई रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया गया एवं न ही उक्त भूमि श्रीमती मालती देवी के पक्ष में अन्तरित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की गई। इस प्रकार स्टाम्प एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए एवं कथित समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी से बचने के आशय से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

22. वादग्रस्त आराजी महेन्द्र सिंह आत्मज माधव लाल दरोगा /प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई है। जिसे उनके द्वारा प्रेम सिंह आत्मज मदन सिंह यादव द्वारा प्रतिफल अदा करने के उपरान्त दिनांक 9.1.2008 को कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वाद प्रस्तुत करते समय महेन्द्र सिंह पिता माधव लाल दरोगा के पक्ष में था एवं उसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर देने से प्रेम सिंह यादव आत्मज मदन सिंह यादव के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि वादग्रस्त आराजियात बाबत सुविधा का संतुलन भी रजिस्टर्ड केता के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि वादग्रस्त आराजियात पर बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो निश्चित तौर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किये जाने वाले पक्ष को ही होना साबित होता है। इस तथ्य को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

23. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2008 को निरस्त किया जाता है।

24. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.16 17:54:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: